

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-2/2011/बी-ग्यारह
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/5/2011

उद्योग आयुक्त
म0प्र0, भोपाल ।

विषय :- उद्योग संवर्धन नीति, 2010 अन्तर्गत जारी प्रवेश कर मुक्ति सुविधा, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना तथा उद्योग निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान योजनाओं हेतु अपात्र उद्योगों की सूची ।

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना अन्तर्गत प्रवेश कर मुक्ति सुविधा तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना एवं निवेश अनुदान योजना व टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजनाओं हेतु अपात्र उद्योगों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो' अनुसार जारी की जाती है ।

2/ कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो'

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(एम0 एस0 सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 11/5/2011

क्रमांक एफ 16-2/2011/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
 - 2 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वाणिज्यिक कर विभाग । कृपया प्रवेश कर छूट सुविधा संबंधी अधिसूचना में यथानुरूप संशोधन करने का कष्ट करें ।
 - 3 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ग्वालियर म0प्र0 ।
 - 4 महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), ग्वालियर, म0प्र0 ।
 - 5 प्रबंध रांचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन/
म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।
 - 6 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म0प्र0 ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- संलग्न :- उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो'

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं हेतु अपात्र उद्योगों की सूची
ब्याज अनुदान एवं पूंजी निवेश अनुदान हेतु अपात्र सूची

क्र.	अपात्र उद्योग
(1)	(2)
1.	पलोर मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, राइस मिल (प्लांट एवं मशीनरी में रुपये पचास लाख से अधिक पूंजीवेष्टन वाले उद्योगों को छोड़कर)
2.	राइस हलर, पॉरबायलिंग ऑफ पैडी, पोहा, मुरमुरा विनिर्माण इकाई (प्लांट एवं मशीनरी में ₹ 50 लाख से अधिक पूंजी वेष्टन करने वाली इकाई को छोड़कर)
3.	कागज बनाने वाले कारखाने (बगास एवं अपशिष्ट पर आधारित उद्योगों को छोड़कर)
4.	सभी प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस एवं प्रिंटिंग कार्य (ऐसे उद्योग जिनमें प्रिंटिंग गतिविधि निर्माण प्रक्रिया का अंग हो एवं हेण्डक्राफ्ट प्रिंटिंग को छोड़कर)
5.	कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रीज (ऐसे उद्योग जिनमें प्लांट तथा मशीनरी में पूंजी निवेश रुपये एक करोड़ से अधिक हो, को छोड़कर)
6.	आईस फैक्टरीजल/कोल्ड स्टोरेज
7.	बियर निर्माण, मदिरा निर्माण (अंगूर से बनने वाली वाइन, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 15 प्रतिशत से कम हो, को छोड़कर) एवं सभी प्रकार का अल्कोहल निर्माण
8.	कारपेंट्री, लकड़ी की चिराई, आरा मिल, सभी प्रकार के लकड़ी के आयटम्स
9.	रस्सी का निर्माण (प्लांट एवं मशीनरी में ₹0 25 लाख से अधिक का पूंजी निवेश करने वाली मशीनीकृत इकाईयों को छोड़कर)
10.	पेपर बैग्स, लिफाफे (प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्टन ₹0 10 (दस) लाख से अधिक हो, को छोड़कर)
11.	रबर स्टाम्प मेकिंग
12.	एक्सरसाईज नोटबुक्स का निर्माण (प्लांट एवं मशीनरी में ₹0 10 (दस) लाख से अधिक का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को छोड़कर)
13.	बेकरी प्रोडक्ट्स एण्ड बिस्किट्स (प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्टन रुपये 50 (पचास) लाख से अधिक हो, को छोड़कर)
14.	पोल्ट्री फीड, केटलफीड (केवल केटलफीड एवं पोल्ट्री फीड में प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्टन रुपये 50 (पचास) लाख से अधिक हो, को छोड़कर)
15.	कन्फेक्शनरी (प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्टन रुपये 50 (पचास) लाख से अधिक हो, को छोड़कर)
16.	मिठाई, नमकीन सामग्री बनाना, मसाले तैयार करना (प्लांट एवं मशीनरी में ₹0 50 (पचास) लाख से अधिक पूंजी निवेश करने वाली पैकेज्ड मिठाई, पैकेज्ड नमकीन एवं पैकेज्ड मसाले निर्माण करने वाली इकाईयों को छोड़कर)
17.	फायर वर्क्स मेन्युफैक्चरिंग
18.	स्कोअरिंग
19.	होजियरी (प्लांट एवं मशीनरी में ₹0 50 (पचास) लाख से अधिक का पूंजी निवेश करने वाली इकाई को छोड़कर)

क्र.	अपात्र उद्योग
(1)	(2)
20.	पत्तल एवं दोना निर्माण
21.	शू-पेटर्न्स एवं मोल्ड मेकिंग (प्लांट एवं मशीनरी में रु० 5 (पांच) लाख से अधिक का पूंजी निवेश करने वाली इकाई को छोड़कर)
22.	स्मोकलेस फ्यूल मेन्युफेक्चर, कोल मेकिंग
23.	कार्क मेकिंग
24.	ब्रास/कापर प्लेट एवं सर्कल मेन्युफेक्चर (प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्टन रुपये 25 (पच्चीस) लाख से अधिक हो, को छोड़कर)
25.	सभी प्रकार के लेमिनेशन (जूट बैग्स के लेमिनेशन को छोड़कर)
26.	स्टील क्लीप का निर्माण
27.	पेपर से बनी वस्तुएं (प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्टन रुपये 10 (दस) लाख से अधिक हो, को छोड़कर)
28.	फिशिंग नेट मेकिंग
29.	स्टोन क्रेशिंग एवं गिट्टी निर्माण
30.	इलेक्ट्रीकल कंट्रोल पेनल असेम्बली
31.	टायर रिट्रेडिंग जॉब वर्क्स
32.	रिकंडिशनिंग एण्ड सर्विसिंग ऑफ आटो इजिन्स
33.	वुड वूल इन्सुलेशन बोर्ड
34.	रीट्रिडिंग ऑफ इण्डस्ट्रीयल आटोमोबाइल्स माल्डेड प्रोडक्ट एण्ड रबर होजेस
35.	डिस्टिल वाटर का निर्माण (स्वतंत्र इकाई)
36.	प्लेयिंग कार्ड का निर्माण
37.	प्रिंटिंग ऑफ एल.डी.पी.ई. एण्ड एच.डी.पी.ई. बैग्स (प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्टन रुपये 50 (पचास) लाख से अधिक हो, को छोड़कर)
38.	लाईम पावडर, लाईम चिप्स एण्ड डोलोमाईट पावडर का निर्माण
39.	ग्राइडिंग आफ मिनरल (स्वतंत्र इकाई)
40.	सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिक्स, एरिएटेड कोल्ड ड्रिक्स (पल्प पर आधारित सॉफ्ट ड्रिक्स उद्योगों को छोड़कर) एवं बॉटलिंग
41.	स्लॉटर हाउस
42.	तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद

क्र.	अपात्र उद्योग
(1)	(2)
43.	पान मसाला
44.	सभी प्रकार का गुटखा निर्माण।
45.	सभी ऐसी गतिविधियाँ, जिनमें विनिर्माण प्रक्रिया नहीं हैं, सुविधाओं हेतु अपात्र होंगी।
46.	सभी प्रकार की माइनिंग गतिविधियाँ।
47.	रिफाइनिंग ऑफ आइल (स्वतंत्र इकाई)
48.	मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का स्थानांतरण करके स्थापित की गई इकाई तथा अंतरण, उध्वसन या बंद करके उसी स्थान पर स्थापित की गई औद्योगिक इकाई (बशर्ते पूर्व इकाई पर कोई टैक्स बकाया नहीं हो एवं नवीन इकाई के उत्पाद पूर्व इकाई के उत्पाद से भिन्न हों)।
49.	रंग एवं पेंट निर्माण (रु0 1.00 करोड पूंजी निवेश से अधिक की प्लांट एवं मशीनरी से स्थापित उद्योग को छोड़कर)
50.	सोया प्रोसेसिंग उद्योग (ऐसे उद्योग जिनके कुल उत्पादन में सोयाबीन तेल (रिफाईंड तेल सहित) व डि-आइल्ड केक के अतिरिक्त अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रतिशत (कुल विक्रय मूल्य के आधार पर) 25 (पच्चीस) अथवा उससे अधिक हो, को छोड़कर)
51.	ऐसे उद्योग जो राज्य शासन अथवा राज्य शासन के घोषित चूककर्ता/अशोध (defaulter) हैं।
52.	अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जावें।

